



COMMERCIAL SHOP CUM OFFICE (SCO) PLOTS

व्यवसायिक दुकान कम कार्यालय (एससीओ) प्लॉट्स

Sec-83 & 84, Gurugram
सैक्टर- 83 और 84, गुरुग्राम

Under Commercial Plotted Policy of Haryana Government
हरियाणा सरकार की व्यवसायिक प्लॉटेड योजना के तहत

HRERA REGISTERED
66 of 2019 dt 31/10/19

- प्लॉट एवं बिल्डिंग का स्वतंत्र मालिकाना हक
- बेसमेंट सहित बिल्डिंग प्लॉन स्टैंडर्ड डिजाइन के अनुसार
- बिजली एवं पानी मीटर सहित इंडिपेंडेंट मेटेनेंस
- सेक्टर एवं साइट निर्माण कार्य लगभग पूर्ण बैंक लोन उपलब्ध
- प्लॉटेड प्रोजेक्ट में सभी जरूरी मूल सुविधाएं जैसे -सड़क, बिजली एवं पानी कनेक्शन, सीवर, बिजली के पोल, सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी
- आसपास पहले से ही हजारों परिवार रह रहे हैं।
- नजदीकी मल्टीप्लेक्स होने से, भारी मात्रा में फुटफॉल
- Independent ownership of entire plot & building
- Development as per standard design including Basement
- Independent maintenance with individual electricity & water meter.
- Sector and Site development work almost complete
- Bank Loan available
- All necessary basic infrastructure will be provided in the commercial plotted colony such as roads, electricity and water connection, sewer, electricity poles, convenience facilities, CCTV monitoring and security.
- Thousands of families already living in the vicinity
- Heavy footfall with abutting multiplexes

INSTRUCTIONS TO FILL APPLICATION FORM

आवेदन प्रपत्र भरने हेतु निर्देश

GENERAL INSTRUCTIONS :

- Only capital letters should be used.
- Application should be filled in black or blue pen only.
- Use one box for one letter/number.
- Write your name, application number and telephone number at the back of your demand draft / banker's cheque/crossed cheque.
- Paste self attested latest photograph on the application form & sign at the bottom of the application form.
- In case of joint application, paste the self attested latest photographs on the application form & sign at the bottom of the application form.
- Application to be submitted with application fee through Demand Draft / Banker's cheque / Crossed cheque to the bank branch from where collected.
- The application fee for SCO Plots shall be deposited vide a single crossed cheque/ banker's cheque/demand draft with the company office or online of any bank drawn in favour of **A/c No. 914020004175304, Axis Bank Ltd., DLF-V, Cross Road, Gurugram, in favour of "Raheja Developers Ltd."** payable at Gurugram. **IFSC code: UTIB0000131 (used for RTGS and NEFT transactions) or crossed cheque in favour of "Raheja Developers Ltd."**

SPECIFIC INSTRUCTIONS

- This application of provisional registration for allotment/booking of SCO Plot of applied size as applied and mentioned herein below (hereinafter referred to as the "said SCO Plot") to be developed/constructed on sector road of sector 83 & 84, Gurugram, Haryana, (hereinafter referred to as the "said Project").
- Duly completed application in all respects alongwith the requisite payment through cross cheque/bank draft should be received by designated Bank before close of banking hours of the last date for submission of applications. Company shall not be responsible in any manner for delay or transit lost in receipt of an application for any reason whatsoever beyond the closure time. The payment in the form of NEFT/RTGS/Net Banking in case of on-line application will be accepted. Payment through credit/debit cards is permitted. Applicant(s), may apply online or by downloading application form and tendering/ transferring by NEFT/RTGS/Net Banking /Credit Card a sum of Rs.11000/- towards processing fee adjustable only against the application fee for the Plot. Duly filled & signed application form in hard copy along with all the enclosures and formalities, together with Crossed Cheque/Bank Draft/Online transfer constituting the balance amount towards application fee, as per the category applied for, shall be sent by the Applicant(s) through Registered Post AD/by hand deposit at the designated branches/collection centres of the Company within 7 days of online submitting of processing fee.
- All the payments agreed to be made by the Applicant(s) in accordance with the payment plan shall be made by way of cheque / demand draft in

सामान्य निर्देश

- केवल स्पष्ट अक्षरों का प्रयोग किया जाए।
- आवेदन प्रपत्र केवल काले या नीले पेन से भरें।
- एक अक्षर / संख्या के लिए एक बॉक्स का प्रयोग करें।
- डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / क्रॉस चैक के पीछे अपना नाम, आवेदन संख्या तथा टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।
- आवेदन प्रपत्र पर अपना स्वयं सत्यापित नवीनतम फोटोग्राफ चिपकाएं और आवेदन प्रपत्र के सबसे नीचे दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करें।
- संयुक्त रूप से आवेदन करने की स्थिति में, संयुक्त रूप से आवेदन करने वाले आवेदक का नवीनतम फोटोग्राफ चिपकाएं और आवेदन प्रपत्र के सबसे नीचे दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करें।
- आवेदन बुकिंग राशि के डिमांड ड्राफ्ट / सिंगल क्रॉसड / बैंकर्स चेक द्वारा जमा होंगे।
- खाता सं. **914020004175304 एक्सिस बैंक लिमिटेड, डीएलएफ-5, गुरुग्राम "रहेजा डवलपर्स लिमिटेड - डीडीजेएवाई, दिल्ली/नई दिल्ली के पक्ष में देय आईएफएससी कोड : UTIB0000131 (आरटीजीएस और एनईएफटी ट्रांजैक्शन के लिए) के पक्ष में देय सिंगल क्रॉसड / बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट, जोकि किसी भी बैंक द्वारा जारी किया गया हो, के रूप में, अनुलग्नक 'बी' में दिए गए बैंक की शाखा में, कम्पनी के कार्यालय में या रेखांकित चैक खाते में और ऑनलाइन बुकिंग राशि जमा करानी होगी।**

विशेष अनुदेश

- यह आवेदन विभिन्न साईज के एससीओ प्लॉट्स के अस्थायी पंजीकरण / अलॉटमेंट / बुकिंग के लिए है (इन्हें आवेदन में आगे "एससीओ प्लॉट" कहा गया है), जोकि के सैक्टर 83 व 84, गुरुग्राम, हरियाणा (प्रोजेक्ट) के सैक्टर रोड पर (प्रमोटर / कम्पनी) के द्वारा विकसित / बनाया जा रहा है।
- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन, अपेक्षित भुगतान राशि सहित आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि तक, बैंकिंग कारोबार समय के समाप्त होने से पूर्व नामित बैंक के पास पहुंच जाने चाहिए। कंपनी आवेदन प्राप्ति की निर्धारित समयावधि के बाद, किसी भी कारणवश आवेदन प्राप्ति में हुई देरी के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किए जाने की स्थिति में, एनआईएफटी / आरटीजीएस / नेट बैंकिंग के रूप में भुगतान की अनुमति है। क्रेडिट / डेबिट कार्ड के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है। जो आवेदक(को) ऑनलाइन आवेदन करते हैं या फार्म डाउनलोड करते हैं और एनआईएफटी / आरटीजीएस / नेट बैंकिंग / क्रेडिट कार्ड से प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में जमा कराई गई रुपये 11000 /- की राशि आवेदन शुल्क में समायोजित कर ली जाएगी। विधिवत् भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, सभी संलग्नकों व औपचारिकताओं के साथ, आवेदनकर्ता(ओं) द्वारा शेष राशि के क्रॉसड चैक / बैंक ड्राफ्ट / ऑनलाइन ट्रांसफर के साथ, जिस श्रेणी के लिए आवेदन किया है, रजिस्टर्ड डाक एडी / हाथ से कम्पनी की शाखाओं / जमा केन्द्रों में, ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने के बाद 7 दिन में जमा किये जा सकते हैं।
- आवेदक (को) द्वारा उसकी सहमति से सभी भुगतानों की अदायगी पेमेंट प्लान (भुगतान ढाँचे) के अनुसार "रहेजा डवलपर्स लिमिटेड" के पक्ष में देय, गुरुग्राम को भुगतें

favour of "Raheja Developers Limited", payable at Gurugram subject to realization of cheque/demand draft. In case the Applicant(s) makes the payment by an outstation Cheque/RTGS/NEFT, then his payment would be deemed to have been received on the date on which the said cheque will get credited into the bank account after deduction of the outstation clearing charges.

- (iii) The application form should be signed only by the Applicant(s) himself, who wants to get SCO Plot/unit under this scheme. No applicant should make any cutting, erasing or overwriting in the application form. In case the Applicant(s) desires to make changes, it is advised to obtain and fill up a fresh application form.
- (iv) The Applicant(s) will be required to intimate the PAN number.
- (v) The sum of Rs.11000/- paid towards processing fee in case of online application, is adjustable in the application fee and the same is not-refundable.

HOW TO APPLY

1. Applicants can apply "Off-Line" as well as "On-Line". For "On-line, the applicant is required to visit company's website : www.scoplots.com.
2. Applicant applying for SCO plots under this scheme shall have to deposit "Application Money" as detailed below: However, if the applicant wishes to opt for bigger size SCO plots, he may do so. He/she would need to deposit the "Application Money" applicable for higher category for which he/she wishes to apply.

SI No.	Category	Application Money (Rs. in Lacs)
(I)	upto 100 sq. yds. (83.612 sq.mt.)	10,11,000/-
(ii)	100 sq. yds. and above (83.612 sq.mt. & above)	20,11,000/-

Note: 1. Only Crossed cheque/ Banker's cheque/ demand draft will be accepted. No cash payment to be made. Company shall not be responsible for any cash payment made by applicant to any person in any circumstances.

2. Please read the instruction carefully before filling up the Application Form. In case any column is not filled up properly/filled wrongly, the liability of rejection of such application will solely rest on the Applicant.
3. There is no requirement of submitting any document at the time of submission of application. Only the successful applicants will be required to submit the prescribed supporting documents.
4. In case of discrepancies in language, English will be treated valid.

चैक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही करनी होगी। यदि आवेदक किसी बाहरी शाखा के चैक/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करता है तो बाहरी शाखा के क्लियरिंग (समाशोधन) शुल्क काटने के बाद, जिस तिथि को चैक बैंक खाते में जमा किया गया है उसी दिन आवेदक का भुगतान प्राप्त माना जाएगा।

- (iii) आवेदन प्रपत्र केवल आवेदक (कों) जो, इस योजना के अंतर्गत एससीओ प्लॉट/यूनिट प्राप्त करना चाहते हैं, द्वारा ही हस्ताक्षरित होना चाहिए। आवेदन प्रपत्र पर आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की काटा पीटी, मिटाना या उपरी लिखाई नहीं होनी चाहिए। आवेदक को यह परामर्श दिया जाता है कि यदि वह कोई परिवर्तन करना चाहता है तो नया आवेदन प्रपत्र भरे।
- (iv) आवेदक (कों) से पेन संख्या, की जानकारी देनी होगी।
- (v) ऑनलाइन आवेदन के मामले में रुपये 11000/- प्रोसेसिंग शुल्क है जो कि आवेदन शुल्क में समायोज्य है और यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें

1. आवेदक 'ऑनलाइन' के साथ-साथ 'ऑफलाइन' भी आवेदन कर सकते हैं। 'ऑनलाइन' के लिए आवेदक को कंपनी की वेबसाइट www.scoplots.com को देखना होगा।
2. इस योजना के अंतर्गत एससीओ प्लॉट के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को 'आवेदन राशि' नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जमा करनी होगी। तथापि, यदि आवेदक बड़े साईज के एससीओ प्लॉट के लिए आवेदन करना चाहता है, तो वह कर सकता है। आवेदक को बड़े साईज के प्लॉट के लिए लागू 'आवेदन राशि' जमा करनी होगी, जिसके लिए वह आवेदन करना चाहता है।

क्रम संख्या	श्रेणी	आवेदन राशि (लाख में)
(I)	100.00 वर्ग गज तक (83.612 वर्ग मीटर)	10,11,000/-
(ii)	100 वर्ग गज व अधिक (83.612 वर्ग मी. से अधिक)	20,11,000/-

- टिप्पणी :**
1. केवल क्रॉसड चैक/बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट ही स्वीकृत है। किसी भी प्रकार का नगद भुगतान ना किया जाए। आवेदक द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति विशेष को नगद रूप से किए गए भुगतान हेतु कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।
 2. आवेदन-पत्र भरने से पहले कृपया अनुदेशों को ध्यान से पढ़ ले। यदि कोई कॉलम ठीक से नहीं भरा गया/गलत भरा गया है तो ऐसे आवेदन-पत्र निरस्त होने की जिम्मेदारी केवल आवेदक की होगी।
 3. आवेदन जमा करते समय किसी दस्तावेज को जमा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल सफल आवेदकों को निर्धारित समर्थक दस्तावेज करने की आवश्यकता होगी।
 4. भाषा विसंगतियों की स्थिति में अंग्रेजी रूप मान्य होगा।

INDICATIVE TERMS AND CONDITIONS FOR ALLOTMENT OF A COMMERCIAL PLOT IN SHOP – CUM – OFFICE (SCO), PLOTTED COLONY, UNDER COMMERCIAL PLOTTED COLONY POLICY DATED 18.02.2016 AMENDMENT DATED 10.07.2019 (“COMMERCIAL PLOTTED COLONY POLICY”), SITUATED IN SECTOR-83 & 84, GURUGRAM, HARYANA

Terms & Conditions for Allotment of Commercial Plots (SCO Plots):-

1. The Applicant(s) has applied for allotment of a commercial plot in SCO Project under Commercial Plotted Colony policy dated 18/02/2016 issued vide memo no. PF-96/2016/3491 by the Government of Haryana which provides for migration of license to other use which was further amended vide memo no. PF-110/2019/8/13/2019-2TCP dated 10/07/2019 (hereinafter referred to as the “said Policy”), over an area of commercial land admeasuring 2.8125 acres situated in Sector 83 & 84, Gurugram (hereinafter the “said Land”). The said Land is migrated from License no. 95 of 2013 dated 30/10/2013 in respect of which licence bearing no. 119 of 2019 dated 14/09/2019 has been granted by Director General Town and Country Planning Haryana at Chandigarh for commercial plotted colony for developing said SCO Plots. The said Project is duly registered with Haryana Real Estate Regulatory Authority, Gurugram (“HRERA Gurugram”) vide Registration No. 66 of 2019 dated 31.10.2019. The said Project consisting of commercial plots being developed by the Company under the provisions of Amendment in Policy dated 06.03.2018 for grant of licence for plotted commercial colony (herein after referred as “SCO Policy” issued by Haryana Govt., Town and Country Planning Department and notified vide Memo No. PF-110/2019/8/13/2019-2TCP dated 10.07.2019.
2. The Applicant(s)/Intending allottee(s) hereby apply through this application of provisional registration for allotment/booking of a Commercial Plot admeasuring approximately _____ Sq. Mts (_____ Sq. Yards) of area (hereinafter referred to as the “said Commercial Plot”) to be developed/constructed on sector road of Gurugram, Haryana, , by M/s Raheja Developers Limited (hereinafter referred to as “Promoter”).

I/We the Applicant(s) Submits as under:-

3. I/we have read and clearly understood the contents of the said Policy and shall abide by the terms and conditions of this policy in letter and spirit.
4. I/We further know and understand that the layout plan of the projects as well as Standard Design of the SCO Plots has been explained to me/us containing specifications being part of the said approval(s). I/We further know and understand that the layout plan and Standard Design shall be/ has been provided to me at the time of possession of the said SCO Plot of my choice and acceptance as per sanction authority norms and provisions.

सेक्टर – 83 व 84, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित व्यवसायिक प्लॉट्स पॉलिसी दिनांक 18.02.2016 के संशोधन दिनांक 10.07.2019 (कमर्शियल प्लॉटेड कॉलोनी योजना) अंतर्गत शाप कम ऑफिस (एससीओ) प्लॉट्स के आबंटन हेतु निर्देशात्मक नियम व शर्तें ।

प्लॉट / यूनिट के आबंटन हेतु निर्देशात्मक नियम व शर्तें

1. आवेदक(को) ने व्यावसायिक प्लॉट कॉलोनी पॉलिसी मेमो संख्या पीएफ –96 / 2016 / 3491 दिनांक 18/02/2016 के संशोधन विभागीय और अधिसूचित मेमो नंबर PF-110/2019/8/13/2019-2TCP दिनांक 10.07.2019 के तहत एससीओ प्रोजेक्ट में एक वाणिज्यिक भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन किया है। हरियाणा सरकार द्वारा जो अन्य उपयोग के लिए लाइसेंस के माइग्रेशन का प्रावधान करता है, जिसमें आगे संशोधन किया गया था। जिसका मेमो न. PF-110 / 2019 / 8 / 13 / 2019-2TCP दिनांक 10/07/2019 (इसके बाद “उक्त पॉलिसी” के रूप में संदर्भित), कंपनी की सेक्टर 83 और 84 में स्थित 2.8125 एकड़ जमीन पर, कॉमर्शियल भूमि का एक क्षेत्र , गुरुग्राम में है (इसके बाद में “उक्त भूमि” कहा गया है)। उक्त भूमि को कमर्शियल लाइसेंस सं. 95/2013 दिनांक 30/10/2013 के संबंध में, जिसको माइग्रेट कर के लाइसेंस संख्या 119/2019 दिनांक 14/09/2019 के तहत एससीओ प्लॉट्स को विकसित करने के लिए वाणिज्यिक प्लॉटेड कॉलोनी पॉलिसी के तहत डायरेक्टर जनरल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा चंडीगढ़ द्वारा को दिए गए हैं (उक्त परियोजना)। उक्त परियोजना विधिवत रूप से हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम (“हरेरा गुरुग्राम”) द्वारा पंजीकरण संख्या 66 / 2019 दिनांक 31.10.2019 से पंजीकृत है। उक्त परियोजना में कंपनी द्वारा वाणिज्यिक भूखंडों को कंपनी के द्वारा विकसित किया जाएगा, जो कि हरियाणा सरकार, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा जारी “एससीओ पॉलिसी” के रूप में निर्दिष्ट वाणिज्यिक कॉलोनी के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए पॉलिसी में संशोधन के लिए दिया गया है।
 2. आवेदक(को)/आबंटित आवंटी(को) इस आवेदन के माध्यम द्वारा एक वाणिज्यिक प्लॉट की बुकिंग लगभग _____ वर्ग गज (_____वर्ग मीटर) अनंतिम पंजीकरण के लिए के मैसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड (बाद में “प्रमोटर” के रूप में संदर्भित) द्वारा गुरुग्राम, हरियाणा के सेक्टर रोड पर विकसित/निर्माण किए जाने वाले क्षेत्र (बाद में “वाणिज्यिक प्लॉट” के रूप में संदर्भित) को आवेदन कर रहा है।
- मैं / हम आवेदक(को) इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं:-**
3. मैंने/हमने उक्त पालिसी की सामग्री को पढ़ा और स्पष्ट रूप से समझा है और इस पालिसी के नियमों और शर्तों का अक्षर और भाव से पालन करेंगे।
 4. मैं / हम यह जानते हैं और समझते हैं कि परियोजनाओं की लेआउट योजना के साथ-साथ एससीओ भूखंडों के मानक डिजाइन को मुझे/हमें समझाया गया है जिसमें विनिर्देशों को उक्त अनुमोदन का हिस्सा है। मैं/हम आगे जानते हैं और समझते हैं कि लेआउट योजना और मानक डिजाइन मुझे अपनी परसंद और स्वीकृति प्राधिकरण के मानदंडों और प्रावधानों के अनुसार एससीओ प्लॉट के कब्जे के समय प्रदान किया जाएगा।
 5. मैं/हमें आगे सूचित किया गया है, मैं/हमें स्वीकार करते

5. I/we have been further informed, acknowledge, understood and agree that the schedule of development/construction of the said Project/ Commercial (SCO) Plot has been intimated to me/us including the present provisions of external civic infrastructure like water, sanitation, electricity etc. which though already developed are yet to be activated and its availability is fully dependent on Govt. authorities, the company shall provide internal development works as per its sanctioned plans only.
6. I/We know and understand that in case of overbooking the Promoter/Company reserves its right to conduct auction or Draw of Lots and allot the unit to the highest bidder or the successful applicant as the case may be 35% of SCO plots under licence have been already allotted to Collaborators and 15% are reserved for the Company/Promoter:-
 - 6.1 In case of Draw of Lots: The date for draw of lot will be fixed after completion of scrutiny process and will be announced through advertisement. Company shall be informing the applicants about the details regarding date/time and venue of the draw and successful allottee(s).
 - 6.2 The unsuccessful applicants may be offered alternative plots/units/floors in another SCO or SCO projects being developed by the Company in the same area/vicinity/or any other project of the Company as per choice of the Applicant. If any unsuccessful applicant does not want to take unit/plot in other projects he/she may seek withdrawal and the Company shall refund the application fee within 180 days without any interest. In case of delay beyond 180 days the company shall refund the application money with interest @10% per annum till the day of refund or as per RERA rules (MCLR+2%) whichever is applicable.
 - 6.3 The Applicant(s) understands that for getting refund, the Applicant(s) has to clearly mention his bank account number. In case the application is in joint name, refund will be made by the Company in the name of the first applicant only and therefore, only his bank account number should be given. This account number and bank particular will be printed on cheque, hence applicant should carefully fill these particulars in the application form. In case the application fee has been paid from the account of the firm/company etc. of the Applicant(s) still for the purpose of refund, the Applicant's bank details have to be provided as the same would be printed on refund cheque and in case of mismatch of account number and payee's name, the bank would not clear the instrument. The Applicant(s) is to recheck and ensure correctness of the same before submitting the application form.
 - 6.4 The Promoter will maintain waiting list and may be offered alternative plots/units/floors in the colony(ies) on priority being developed by the Company in the same area/vicinity/or any other SCO project or any other project of the Company as per choice of the Applicant.

- हैं, समझते हैं और सहमत हैं कि उक्त परियोजना ६ वाणिज्यिक (एससीओ) प्लॉट के विकास/निर्माण की अनुसूची मेरे लिए/हमें सूचित की गई है जिसमें पानी जैसे बाहरी नागरिक बुनियादी ढांचे के वर्तमान प्रावधान शामिल हैं, स्वच्छता, बिजली आदि।
6. मैं/हम जानते हैं और समझते हैं कि प्रमोटर/कंपनी को ओवरबुकिंग के मामले में नीलामी का संचालन करने या ड्रॉ ऑफ लॉट्स करने का अधिकार है और उच्चतम बोली लगाने वाले या सफल आवेदक को एससीओ प्लॉट आवंटित करता है क्योंकि मामला एससीओ प्लॉट का 35% हो सकता है। लाइसेंस के तहत पहले से ही सहयोगकर्ताओं को आवंटित किया गया है और 15% कंपनी/प्रमोटर के लिए आरक्षित हैं: -
 - 6.1 ड्रॉ ऑफ लॉट्स के मामले में: ड्रॉ ऑफ लॉट्स की तय तारीख जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद विज्ञापन के माध्यम से आवेदकों को सूचित की जाएगी। कंपनी ड्रॉ की तारीख/समय और स्थल के बारे में विवरण के बारे में आवेदकों को और सफल आवेदकों को सूचित करेगी।
 - 6.2 आवेदकों की पसंद के अनुसार असफल आवेदकों को कंपनी द्वारा उसी क्षेत्र/आसपास/या किसी अन्य परियोजना में कंपनी द्वारा विकसित की जा रही एक अन्य एससीओ या एससीओ परियोजनाओं में वैकल्पिक भूखंडों / इकाइयों/मंजिलों की पेशकश की जा सकती है। यदि कोई भी असफल आवेदक अन्य परियोजनाओं में यूनिट / प्लॉट नहीं लेना चाहता है, तो वह निकासी की तलाश कर सकता है और कंपनी बिना किसी ब्याज के 180 दिनों के भीतर आवेदन शुल्क वापस कर देगी। 180 दिनों से अधिक विलंब के मामले में, कंपनी धन वापसी के दिन तक प्रति वर्ष / 10% ब्याज के साथ आवेदन धन वापस करेगी।
 - 6.3 आवेदक ने यह समझ लिया है कि धनवापसी के लिए, आवेदक को अपने बैंक खाते की संख्या का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। यदि आवेदन संयुक्त नाम में है, तो कंपनी द्वारा पहले आवेदक के नाम पर ही धन वापसी की जाएगी और इसलिए, केवल उसका बैंक खाता नंबर दिया जाना चाहिए। यह खाता संख्या और बैंक विशेष चेक पर मुद्रित किया जाएगा, इसलिए आवेदक को आवेदन पत्र में इन विवरणों को सावधानीपूर्वक भरना चाहिए। यदि आवेदक की फर्म / कंपनी आदि के खाते से आवेदन शुल्क का भुगतान अभी भी किया गया है, तो रिफंड के प्रयोजन के लिए, आवेदक के बैंक विवरण को उपलब्ध कराना होगा, क्योंकि यह धनवापसी चेक पर मुद्रित किया जाएगा और मैं खाता संख्या और आदाता के नाम के मिलान के मामले में, बैंक उपकरण को साफ नहीं करेगा। आवेदक को आवेदन फॉर्म जमा करने से पहले उसी की पुनरावृत्ति और सुनिश्चित करना है।
 - 6.4 यह है कि प्रमोटर प्रतीक्षा सूची का उल्लेख करेगा और कंपनी द्वारा उसी क्षेत्र / आसपास के क्षेत्र में विकसित की जा रही प्राथमिकता पर कॉलोनियों में वैकल्पिक भूखंडों / इकाइयों / मंजिलों को आवेदक की पसंद के अनुसार पेशकश की जा सकती है। प्रतीक्षा सूची को 2 वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखा जा सकता है, जिसके बाद आवेदन शुल्क वापस प्रतीक्षा सूची में आए आवेदकों को 10% प्रति वर्ष ब्याज के साथ वापस किया जाएगा। यदि कोई प्रतीक्षा सूची वाला उम्मीदवार प्रतीक्षा सूची में जारी नहीं रखना चाहता है, तो वह किसी भी तरह का जुर्माना लगाए बिना 90 दिनों के भीतर आवेदन वापस ले सकता है

The waiting list may be maintained for a period of 2 years after which the application fee shall be refunded back to the waitlisted applicants, with 10% interest per annum. If any waitlisted candidate does not want to continue in the waiting list, he/she may seek withdrawal and the Company shall refund the application fee within 90 days without imposing any penalty.

7. I/We know and acknowledge that the SCO Plots are almost ready for possession and Promoter shall confirm the area of the said SCO plot as per approved demarcation/layout on Standard Design and final completion plan/layout plan upon registration of Agreement for Sale of SCO Plot. The Promoter may inform the allottee about any changes, if any, in the area. The total price payable for the area shall be recalculated upon confirmation by the Promoter. The area as approved in the Standard Design will be applicable. If there is reduction in the area then the Promoter shall refund the excess money paid by Allottee within 90 days with annual interest at the rate prescribed in the Rules, from the date when such an excess amount was paid by the Allottee. If there is any increase in the area, which is not more than five percent of the area of the plot, allotted to the Allottee, the Promoter may demand that from the Allottee as per the next milestone of the Payment Plan as provided in Annexure-A. All these monetary adjustments shall be made at the same rate per square meter as agreed.
8. Acknowledging/agreeing with the terms and conditions, I/We remit herewith a sum of Rs...../- (Rupees only) by Bank Draft/ Cheque No.(s) dated..... drawn on Bank,, towards provisional registration fee being less than 10% of the Basic Sale Price (BSP) of the said Commercial SCO Plot and request you to consider / adjust it as part payment towards the booking amount, to be 25 % of the Total Price of the said Commercial Plot, to be paid by me / us, in case my/our application is accepted and registered with sub-registrar. I/We understand that the aforesaid amount is a part of Total Price of the Commercial SCO Plot and Total Price includes payments by me/us under various heads such as BSP, PLC, EDC / IDC/ Electrification charges, Cess etc. except Registration Charges, Stamp duty.
9. Additionally, I/We am/are also issuing post-dated Cheque(s) (PDC) bearing no., dated, for a sum of Rs....., drawn on Bank,, in your favour to show my/our intention and sincerity to purchase the said Commercial Plot. I /We promise /assure you that agreement for sale for the said Commercial Plot would be executed / signed by me / us in furtherance to this application. Further, I / we request / authorise you to encash / deposit the said cheque(s) while execution / signing of the agreement for sale for the said Commercial Plot and adjust the same towards purchase of the said Commercial Plot. I/we undertake to pay the Total Price of the said Commercial

और कंपनी आवेदन शुल्क वापस कर देगी।

7. मैं / हम जानते हैं और स्वीकार करते हैं कि एससीओ प्लॉट कब्जे के लिए लगभग तैयार हैं और प्रमोटर मानक डिजाइन पर अंतिम सीमांकन / लेआउट के अनुसार उक्त एससीओ प्लॉट के क्षेत्र की पुष्टि करेगा और बिक्री के लिए समझौते के पंजीकरण पर अंतिम पूर्ण योजना / लेआउट योजना एससीओ प्लॉट की। प्रचारक आवंटी को क्षेत्र में किसी भी परिवर्तन, यदि कोई हो, के बारे में सूचित कर सकता है। क्षेत्र के लिए देय कुल मूल्य प्रमोटर द्वारा पुष्टि पर पुनर्गणना किया जाएगा। मानक डिजाइन में स्वीकृत क्षेत्र लागू होगा। यदि क्षेत्र में कमी होती है, तो प्रमोटर एलॉट्टी द्वारा भुगतान किए गए अतिरिक्त धन को 90 दिनों के भीतर नियमों में निर्धारित दर पर वार्षिक ब्याज के साथ वापस कर देगा, जब से ऐसी अतिरिक्त राशि का आवंटन आवंटियों द्वारा किया गया था। यदि क्षेत्र में कोई वृद्धि हुई है, जो कि भूखंड के क्षेत्रफल का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो आबंटिती को आवंटित किया जाता है, प्रवर्तक मांग कर सकता है कि आबंटिती से भुगतान योजना के अगले मील के पत्थर के अनुसार अनुबंध में दिए गए अनुबंध-ए। ये सभी मौद्रिक समायोजन सहमति के अनुसार प्रति वर्ग मीटर पर उसी दर से किए जाएंगे।
8. नियम व शर्तों से सहमत व स्वीकार हो कर, मैं / हम इस आवेदन के साथ ----- रुपये। बैंक ड्राफ्ट / चेक नं. ----- दिनांकित ----- देय ----- बैंक, -----, अनंतिम पंजीकरण शुल्क जोकि उक्त वाणिज्यिक एससीओ प्लॉट के कुल मूल बिक्री मूल्य (बीएसपी) के 10% से कम हैं और आपको इसे भुगतान के रूप में विचार / समायोजित करने का अनुरोध करता है। यदि मेरे / हमारे आवेदन को स्वीकार किया जाता है, तो बुकिंग राशि, उक्त कमर्शियल प्लॉट की कुल कीमत का 25%, मेरे / हमारे द्वारा भुगतान किया जाएगा और सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर किया जाएगा। मैं / हम समझते हैं कि उपरोक्त राशि वाणिज्यिक एससीओ प्लॉट की कुल कीमत का एक हिस्सा है और कुल मूल्य में बीएसपी, पीएलसी, ईडीसी / आईडीसी / विद्युतीकरण शुल्क, उपकर आदि जैसे विभिन्न प्रमुखों के तहत हैं और पंजीकरण शुल्क व स्टॉप ड्यूटी को छोड़कर इस भुगतान शामिल हैं को देने का कर्तव्य करता हूँ।
9. इसके अतिरिक्त, मैं / हम पोस्ट-डेटेड चेक (पी डी सी) जारी कर रहे हैं। जिसका नं. -----, दिनांक -----, राशि ----- रुपये की के लिए -----, पर देय कर्ता ----- बैंक, -----, उक्त वाणिज्यिक प्लॉट खरीदने के लिए मेरे / हमारे इरादे और ईमानदारी दिखाने के लिए आपके पक्ष में दे रहे हैं, जो उपरोक्त अनंतिम के साथ है। मैं / हम आपसे वादा / आश्वासन देते हैं कि उक्त कमर्शियल प्लॉट की बिक्री के लिए समझौते को इस आवेदन के लिए मेरे / हमारे द्वारा निष्पादित / हस्ताक्षरित किया जाएगा। इसके अलावा, मैं आपसे अनुरोध करता / करती हूँ कि उक्त वाणिज्यिक प्लॉट की बिक्री के लिए समझौते के निष्पादन / हस्ताक्षर करते समय आप उक्त चेक को जमा करें / जमा करें या उक्त वाणिज्यिक प्लॉट की खरीद राशि में इसे समायोजित करें। मैं / हम इस आवेदन के अनुबंध-ए के अनुसार तारीखों और उक्त वाणिज्यिक प्लॉट की कुल कीमत का भुगतान करने का कार्य करते हैं।
10. उक्त वाणिज्यिक प्लॉट के आवंटन / बुकिंग के लिए इस आवेदन को प्रस्तुत करने में मेरी / हमारी योग्यता के बारे

Plot on the dates and the manner as per Annexure-A of this application.

10. To avoid any ambiguity or doubt about my /our competency in submitting this application for allotment / booking of the said Commercial Plot, I/We declare that I/we am/are competent to make and submit the present Application for the allotment / booking of the said Commercial Plot and there is no legal, regulatory or statutory impediment or restriction on me/us in submitting this Application or the payment tendered hereunder I/We have my paying capacity to complete the transaction and get the Conveyance Deed executed and registered in my/our name.
11. I/we further acknowledge, understand and agree that this application for provisional registration and/or the Agreement for sale to be executed in due course is concerned solely with the conditions for transfer of the said Commercial Plot for the consideration agreed. All the amounts payable by me/us in accordance with the payment plan are solely in lieu of the consideration for the transfer of the said Commercial Plot and no part of it is being charged as a fee for any kind of service whatsoever or such as may be implied or alleged to be due there under or may be deemed to be rendered by the Promoter. I/we further declare and confirm that I/we am/are applying for provisional registration at this stage to take the benefit of having the allotment at the current pricing keeping in view the strategic location of the said Project and proposed completion and delivery time for the said Commercial Plot.
12. I/We have categorically been informed that till said Commercial Plot is conveyed to me/us together with possession. I/We do not become entitled even for the provisional and/or final allotment of the said Commercial Plot notwithstanding the fact that the Promoter may have issued an acknowledgment of present application and / or may have encashed the aforesaid cheques / bank draft issued for provisional registration fee. I/We have further categorically been informed that allotment/booking of the said Commercial Plot shall become final and binding upon both i.e. me/us and the Promoter only after allotment and possession and in furtherance thereof execution and compliance of agreement for sale by me/us.
13. I/We further agree that I/We shall use or cause to be used the said Commercial Plot for the Commercial purpose only and not otherwise as per sanctions and approvals under policy and licence. This is condition precedent and non-compliance thereof may invite cancellation of the Commercial Plot and booking amount, including taxes etc., shall stand forfeited. I/We further agree, consent and undertake that I/We shall have to compensate the Promoter for all the losses resulting therefrom.
14. I /We further know and agree that I/We shall get approved the sanction plan in respect of the Commercial Plot allotted to me/us on my/own for the construction of the unit/s on the said Commercial Plot before commencement of construction from the

में किसी भी अस्पष्टता या संदेह से बचने के लिए, मैं / हम घोषणा करते हैं कि मैं / हम वर्तमान बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आवेदन करने / जमा करने के लिए सक्षम हैं / उक्त कमर्शियल प्लॉट की बुकिंग और इस आवेदन को प्रस्तुत करने में मेरे / हम पर कोई कानूनी, विनियामक या वैधानिक बाधा या प्रतिबंध नहीं है या भुगतान यहां प्रस्तुत किया गया है मैं / हमारे पास लेन-देन को पूरा करने और हमारे नाम कवेयन्स डीड करने और पंजीकृत होने के लिए मेरी भुगतान क्षमता है।

11. मैं / हम आगे स्वीकार करते हैं, समझते हैं और सहमत हैं कि उचित पंजीकरण के लिए अनंतिम पंजीकरण और / या बिक्री के लिए अनुबंध के लिए यह आवेदन पूरी तरह से सहमत विचार के लिए उक्त वाणिज्यिक प्लॉट के हस्तांतरण के लिए शर्तों से संबंधित है। भुगतान योजना के अनुसार मेरे / हमारे द्वारा देय सभी राशियाँ उक्त वाणिज्यिक प्लॉट के हस्तांतरण के लिए पूरी तरह से विचार के बदले में हैं और इसका कोई भी हिस्सा किसी भी तरह की सेवा के लिए शुल्क के रूप में नहीं लिया जा सकता है या जैसे भी हो प्रमोटर द्वारा प्रदान किए जाने के तहत निहित होने या होने का आरोप लगाया जाना या आरोपित होना। मैं / हम आगे घोषित करते हैं और पुष्टि करते हैं कि मैं / हम / इस स्तर पर अनंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं, उक्त वाणिज्यिक प्लॉट के वर्तमान मूल्य निर्धारण में आवंटन का लाभ लेने के लिए उक्त परियोजना के रणनीतिक स्थान और प्रस्तावित पूरा होने और डिलीवरी के समय को ध्यान में रखते हुए भुगतान करता रहूंगा।
12. मुझे / हमें स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि जब तक मुझे वाणिज्यिक प्लॉट व उसका कब्जे एक साथ आवंटित नहीं किया जाता है। मैं / हम उक्त वाणिज्यिक प्लॉट के अनंतिम और / या अंतिम आवंटन के लिए भी हकदार नहीं हैं, इस तथ्य के बावजूद कि प्रमोटर ने वर्तमान आवेदन की एक पावती जारी की हो सकती है और / या अनंतिम पंजीयन के लिए जारी किए गए शुल्क पूर्वोक्त चेक / बैंक ड्राफ्ट को एनकाश किया हो। मैं / हमें आगे स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि उक्त वाणिज्यिक प्लॉट का आवंटन / बुकिंग अंतिम और बाध्यकारी हो जाएगा, अर्थात् मुझे / हम और प्रमोटर को आवंटन और कब्जे के बाद और उसके बाद मेरे द्वारा बिक्री के लिए समझौते के निष्पादन हैं।
13. मैं / हम आगे इस बात से सहमत हैं कि हम नीतिगत और लाइसेंस के तहत प्रतिबंधों और अनुमोदन के अनुसार केवल वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उक्त वाणिज्यिक प्लॉट का उपयोग करेंगे या करेंगे। यह शर्त पूर्ववर्ती है और इसका अनुपालन न करने पर वाणिज्यिक प्लॉट रद्द करने और बुकिंग राशि, करों सहित आदि को आमंत्रित किया जा सकता है। जिसके परिणामस्वरूप, मैं / हम आगे सहमत हैं, सहमति देते हैं और कहते हैं कि मुझे / हमें प्रमोटर को सभी नुकसानों की भरपाई करनी होगी।
14. मैं / हम आगे जानते हैं और इस बात से सहमत हैं कि मुझे / हमें हमारे द्वारा आवंटित एससीओ प्लॉट के संबंध में मंजूरी योजना को मंजूरी दी जाएगी / यूनिट के निर्माण के लिए मेरे / हमारे अपने / एससीओ प्लॉट के निर्माण से पहले। प्रमोटर और संबंधित प्राधिकरण से निर्माण और इस तरह के प्रतिबंधों और संबंधित विभागों के सभी अन्य अनुपालनों के लिए लागू सभी शर्तों और नियमों का पालन करेगा।
- 14.1 मैं / हम आगे स्वीकार करते हैं, समझते हैं और सहमति देते

Promoter and the concerned authority and shall follow all the conditions and regulations as applicable to such sanctions and all other compliances of concerned departments.

- 14.1 I/we further acknowledge, understand and consent that after taking possession of the SCO Plot, get the building plan approved shall be got from the Promoter's Authorised Architect who is empanelled authorized architects only as per approved layout and standard design only within the permissible FAR and get the construction done by authorized contractor from the panel of the contractors approved by the Company.
- 14.2 I/we further acknowledge and thoroughly understand that construction of my/our SCO on plot will be done strictly as per Standard Design Approved by Department of Town and Country Planning, Haryana(DTCP) and agree that construction of the SCO Plot will be done by me/us at my/our cost and resources strictly as per approved standard design, material, specifications after the maps sanctioned and executed through empanelled authorized architects and contractors with a view to keep uniformity of levels, specifications, colours, patterns, façade, services, lifts, staircases, escalators, common walkways, verandas, balconies and corridors etc. which will be strictly uniform in lines colours in every and all parameters and respects. Further walls, services, stairs(if permitted by sanctioning authorities) will be placed between the adjoining SCO plots as common sharing elements, amenities and facilities as shared construction costs and expenses basis to save upon costs and available carpet areas as per approved zoning and standard design. Whoever Allottee of the SCO Plot who develops and construct his/her SCO first shall have to leave construction, steel laps for construction of reinforcement and services as per Architectural and Standard Design and services for shared use of the adjoining SCO Plots holder(s) who before start of construction on his respective SCO plot will have to reimburse the common costs and obtain NOC from the adjoining SCO owner on mutual terms or as per shared costs of 50:50 as per DSR rates of CPWD index applicable at relevant time of construction plus 20% (twenty percent) mark up on item rates. The said settlement will be filed with the Promoter and NOC will be obtained before start of construction of SCO Plot.
- 14.3 That the other Charges such as individual Electricity Connection Charges including deposit and meter charges, individual water Connection charges from the main supply line, individual sewerage Connection charges from the said SCO Plot to the main sewerage line and storm water Connection Charges from the said SCO Plot to the main line and malba charges etc. or any kind of security charges/caution money with respect to such connections shall be borne by the Applicant(s)/ Intending Allottee(s).
15. I/we further acknowledge, understand and consent that I/we have also gone through and read the draft Agreement for Sale available on the Promoter's website and I/We have fully understood all the terms and

हैं कि एससीओ प्लॉट पर कब्जा करने के बाद, मैं / हम बिल्डिंग प्लान को प्रमोटर के अधिकृत अधिकृत वास्तुकार से अनुमोदित लेआउट और मानक डिजाइन के अनुसार केवल स्वीकार्य एफएआर के तहत अनुमोदित करवाएंगे और प्राप्त करेंगे। केवल कंपनी द्वारा अनुमोदित ठेकेदारों के पैनल में से अधिकृत ठेकेदार के द्वारा ही निर्माण कराया जाएगा।

- 14.2 मैं / हम आगे स्वीकार करते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं कि मेरे / हमारे एससीओ प्लॉट का निर्माण टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, हरियाणा (DTCP) द्वारा अनुमोदित मानक डिजाइन के अनुसार सख्ती से किया जाएगा और सहमत होंगे कि एससीओ प्लॉट का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? मेरे/हमारी लागत और संसाधनों पर कड़ाई से अनुमोदित मानक डिजाइन, सामग्री, विनिर्देशों के अनुसार योजनाओं के बाद मंजूरी दी गई है, जो कि अधिकृत अधिकृत वास्तुकारों और ठेकेदारों के माध्यम से स्तरों, विनिर्देशों, रंग, पैटर्न, अग्रभाग, सेवाओं की एकरूपता रखने की दृष्टि से स्वीकृत हैं। लिफ्टों, सीढ़ियों, एस्केलेटर, सामान्य पैदल मार्ग, बरामदे, बालकनियाँ और गलियारे आदि जो सभी मापदंडों और सम्मानों में लाइनों में समान रूप से समान/सममित होंगे। इसके अलावा, दीवारों, सेवाओं, सीढ़ियों (यदि अधिकारियों को मंजूरी देकर अनुमति दी जाती है) को एससीओ भूखंडों के बीच साझा किए गए निर्माण लागत और खर्च के आधार पर साझा निर्माण लागत और सुविधाओं के आधार पर अनुमोदित जोनिंग के अनुसार लागत और उपलब्ध कालीन क्षेत्रों को बचाने के लिए रखा जाएगा। मानक डिजाइन। जो भी एससीओ प्लॉट का आवंटन करता है और अपने एससीओ प्लॉट का विकास और निर्माण करता है, उसे पहले निर्माण को छोड़ना होगा, मानक वास्तुकला और मानक डिजाइन के अनुसार सुदृढीकरण और सेवाओं के निर्माण के लिए स्टील लेप्स और निकटवर्ती आरसीओ प्लॉट धारक (ओं) के साझा उपयोग के लिए सेवाएं। जो अपने संबंधित एससीओ भूखंड पर निर्माण शुरू करने से पहले सामान्य लागत की प्रतिपूर्ति करेगा और मौजूदा एससीओ भूखंड के मालिक से आपसी शर्तों पर या 50:50 की साझा लागत के अनुसार प्रासंगिक रूप से लागू सीपीडब्ल्यूडी सूचकांक की डीएसआर दरों के अनुसार एनओसी प्राप्त करेगा। निर्माण का समय प्लस 20% (बीस प्रतिशत) आइटम दरों पर अंकित है। उक्त समझौता प्रमोटर के साथ दायर किया जाएगा और एससीओ भूखंड के निर्माण से पहले एनओसी प्राप्त किया जाएगा।
- 14.3 यह कि व्यक्तिगत विद्युत कनेक्शन शुल्क जैसे जमा और मीटर शुल्क, मुख्य आपूर्ति लाइन से अलग-अलग पानी के कनेक्शन शुल्क, उक्त एससीओ प्लॉट से मुख्य सीवरज लाइन के लिए अलग-अलग सीवरज कनेक्शन शुल्क और उक्त एससीओ से बरसाती जल कनेक्शन प्रभार। इस तरह के कनेक्शन के संबंध में मुख्य लाइन और मलबा शुल्क आदि या किसी भी प्रकार के सुरक्षा शुल्क के लिए आवेदक(को)/इच्छुक आवंटियों(को) द्वारा ही वहन किया जाएगा।
15. मैं / हम आगे स्वीकार करते हैं, समझते हैं और सहमति देते हैं कि मैं / हम ने भी प्रमोटर की वेबसाइट पर उपलब्ध बिक्री का इकरारनामों की नियम और शर्तों का मसौदा को समझ लिया है और देख व पढ़ चुके हैं। मैंने / हमने बिक्री के लिए उक्त इकरारनामों में निहित सभी नियमों और शर्तों को पूरी तरह से समझ लिया है। मैं / हम अपनी संपूर्णता में प्रमोटर के साथ बिक्री के लिए इकरारनामों पर हस्ताक्षर

conditions contained in the said Agreement for Sale. I/We agree to sign and execute the Agreement for Sale with the Promoter in its entirety and undertake to abide by all the terms and conditions contained therein.

16. I/We are in acceptance of the said suggestive terms and conditions contained in the draft Agreement for Sale as made available and also available on the Promoter's website. I/we further acknowledge, understand and agree that if I/We withdraw this Application or I/We fail to execute / sign and return the executed / signed copy of said Agreement for sale or the copies thereof, within thirty (30) days from the date of its dispatch by the Promoter at my/our aforesaid address or if I/We fail to accept the allotment made by the Promoter, then the Promoter may at its sole discretion treat my/our Application as cancelled and in the event of such cancellation, the Promoter shall be authorised to forfeit the aforesaid registration fee/booking amount and allot the said commercial plot to the next applicant(s) and I/we understand and agree that I/we shall be left with no right, interest, claim or lien etc. on the proposed said Commercial Plot or its provisional registration or otherwise on the Promoter in any other manner whatsoever. The balance amount of money paid by the Applicant, if any, shall be returned by the Promoter to me/us within 45 days after substitution of the equivalent amount from the next purchaser subject to provisions of balance in the escrow account, required to be maintained under RERA, without affecting ongoing construction.
17. I/We understand that the Promoter may reject this Application at any time at its sole discretion without assigning any reason, I/we shall be entitled to full refund of the amount deposited by me/us alongwith interest as per RERA rules.
18. I/We am/are submitting this Application with the full knowledge that layout plan even though sanctioned may require alteration, revisions due to any planning Standard Design, fire, parking or statutory requirements, technical needs etc.
19. I/We further acknowledge, understand and consent that the present Layout Plan of the said Project and its Area which forms the basis for calculation of the Total Price, are subject to change until the construction and development of the said Project /said Commercial Plot is complete in all respects and the competent authority issues the Completion/part completion Certificate in respect to the said project.
20. I/We declare that I/we have fully satisfied myself/ourselves about exclusive, irrevocable and unequivocal right of the Promoter to develop, construct, launch, market, and sell in whole or in part etc., of the said project as well as the approvals/consents/ /license granted by the DTCP, RERA and/or any other Authority as required and the competency of the Promoter. Further I/we have done due diligence on the associated rights, capabilities and ability of the Promoter to complete the said Project. I/We have understood all the limitations and obligations of the Promoter with respect

- करने और उस पर अमल करने के लिए सहमत हैं और उसमें निहित सभी नियमों और शर्तों का पालन करते हैं।
16. मैं / हम उक्त दर्शाये गए नियमों और शर्तों को स्वीकृत करते हैं जो बिक्री के लिए मसौदा इकरारनामा में सम्मिलित हैं और प्रमोटर की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। मैं / हम आगे स्वीकार करते हैं, समझते हैं और सहमत हैं कि यदि मैं / हम इस आवेदन को वापस लेते हैं या मैं / हम निष्पादन / हस्ताक्षर करने और बिक्री के लिए उक्त इकरारनामों की निष्पादित / हस्ताक्षरित प्रतिलिपि वापस करने में विफल रहते हैं या उसकी प्रतियाँ, तीस (30) दिनों के भीतर से मेरे / हमारे पूर्वोक्त पते पर प्रमोटर द्वारा इसके प्रेषण की तिथि या यदि मैं / हम प्रमोटर द्वारा किए गए आवंटन को स्वीकार करने में विफल रहते हैं, तब प्रमोटर अपने विवेकाधिकार पर मेरे / हमारे आवेदन/बुकिंग को रद्द कर सकता है और इस तरह के रद्द होने की स्थिति में, प्रमोटर को उपरोक्त पंजीकरण शुल्क को जब्त करने और अगले आवेदकों को उक्त वाणिज्यिक प्लॉट आवंटित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। मैं / हम समझते हैं और सहमत हैं कि मैं / हम प्रस्तावित वाणिज्यिक प्लॉट या उसके अनंतिम पंजीकरण पर या अन्यथा किसी भी अन्य तरीके से प्रमोटर पर अन्यथा कोई अधिकार, ब्याज, दावा या ग्रहणाधिकार नहीं करेंगे। आवेदक द्वारा भुगतान की गई शेष राशि, यदि कोई हो, प्रमोटर द्वारा एस्करो खाते में शेष राशि, जिसे बनाए रखना आवश्यक है के प्रावधानों के अधीन अगले क्रेता से बराबर राशि के प्रतिस्थापन रेटा के तहत व चल रहे निर्माण को प्रभावित किए बिना के बाद, 45 दिनों के भीतर मुझे / हमें लौटा दी जाएगी।
17. मैं / हम समझते हैं कि प्रमोटर बिना किसी भी कारण बताए इस आवेदन को किसी भी समय अपने विवेकाधिकार पर अस्वीकार कर सकता है, मैं / हम मेरे / हमारे द्वारा रेटा के नियमों के अनुसार ब्याज सहित जमा राशि के पूर्ण वापसी के हकदार होंगे।
18. मैं / हम इस आवेदन को पूर्ण ज्ञान के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कि लेआउट प्लान भले ही स्वीकृत हो, किसी भी नियोजन मानक डिजाइन, आग, पार्किंग या वैधानिक आवश्यकताओं, तकनीकी आवश्यकताओं आदि के कारण परिवर्तन, संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।
19. मैं / हम आगे स्वीकार करते हैं, समझते हैं और सहमति देते हैं कि उक्त परियोजना और उसके क्षेत्र की वर्तमान लेआउट योजना जो कुल मूल्य की गणना का आधार है, उक्त परियोजना के निर्माण और विकास तक परिवर्तन के अधीन हैं / कहा गया वाणिज्यिक प्लॉट सभी प्रकार से पूर्ण है और सक्षम अधिकारी उक्त परियोजना के संबंध में पूर्णता / भाग पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करता है।
20. मैं / हम घोषणा करते हैं कि मैंने / हमने पूरी तरह से स्वयं को संतुष्ट किया है, उक्त परियोजना के विकास, निर्माण, प्रक्षेपण, बाजार, और बेचने आदि के लिए प्रचारक के अनन्य, अपरिवर्तनीय और असमान अधिकार के बारे में। DTCP, RERA और / या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित अनुमोदन / स्वीकृति / लाइसेंस और प्रमोटर की योग्यता। इसके अलावा, मैंने / हमने उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए प्रवर्तक के संबद्ध अधिकारों, क्षमताओं और क्षमता पर उचित परिश्रम किया है। मैंने / हमने प्रमोटर की सभी सीमाओं और दायित्वों को समान रूप से समझा है।
21. मैं / हम इस आवेदन के माध्यम से आवंटन के लिए आवेदन कर रहे हैं और मैं / हम साइट का मौके पर निरीक्षण करने के बाद व स्थान, अधिकार, शीर्षक, ब्याज, आकार, मूल्य,

to the same.

21. I/we am/are applying for allotment through this Application after physically inspecting the site(s) and have understood and satisfied myself / ourselves in all respects about the location, the right, title, interest, size, price, infrastructure, status, local conditions and environment or government regulations, availability of finance and interest rates, market conditions, my/our ability to make timely payments etc. in deciding to apply for purchase of the said Commercial Plot and have not relied upon any advertisements, representations, promises or any other information, verbal representation and assurances, warranties, statements or estimates of any nature whatsoever made by selling agents/brokers or otherwise including but not limited to any visual or oral representations relating to the description, location or physical condition of the said Project / said Commercial Plot under any influence or coercion of any nature unless authorized in writing by the Promoter. I/We am/are also aware of the market risk perceptions and market price fluctuations which are related to real estate sector, the Indian economy in general and this area and the said Project in particular.
22. I/We have clearly understood and agreed that this Application will be processed by the Promoter only after encashment of the cheques submitted by me/ us towards "Booking Amount" and this Application complete in all respects otherwise this Application shall be liable for rejection.
23. I/We understand that as factored in "Annexure A", I/we shall also be liable to pay all third party charges including the applicable registration amount and stamp duty, pro-rata EDC/IDC charges, Electricity Connection and Power Back-up Charges, water connection charges as well as applicable taxes/fees/cess etc., such as Goods and Services Tax(GST) or other government or statutory dues as applicable, sewerage, drainage, rain water harvesting system, solar power backup etc., charges whatsoever, in connection with the construction and development of the said Commercial Plot or said Project, now or in future or any increase thereof as well as any other amount paid/payable by the Promoter to the government or any authority in connection with the construction and development of the said Commercial Plot /said Project, now or in future and/or any increase thereof and the incidence of which is payable by the Promoter and ultimately recoverable from the allottee.
24. I/we acknowledge and understand that mere submission of this signed Application and payment of registration fee and/or allotment of the said Commercial Plot does not automatically result in accrual of any sort of right, title or interest whatsoever in my/our favour in any immovable property or in the said Commercial Plot and common areas/ utilities or amenities until the final completion and successful registration of conveyance and compliance of terms thereof on the full and final payment of amount stated in the "Annexure A".
25. I/we further acknowledge, understand and agree that

बुनियादी ढांचे, के बारे में सभी प्रकार से खुद को समझा / संतुष्ट किया है। स्थिति, स्थानीय परिस्थितियों और पर्यावरण या सरकारी नियमों, वित्त की उपलब्धता और ब्याज दरों, बाजार की स्थिति, समय पर भुगतान करने की मेरी / हमारी क्षमता, उक्त वाणिज्यिक प्लॉट की खरीद के लिए आवेदन करने का निर्णय लेने में किसी भी विज्ञापन, अभ्यावेदन पर निर्भर नहीं है, वादे या कोई अन्य जानकारी, मौखिक प्रतिनिधित्व और आश्वासन, वारंटी, बयान या किसी भी प्रकृति का अनुमान जो कि एजेंटों / दलालों को बेचकर या अन्यथा सहित, लेकिन विवरण, स्थान या भौतिक स्थिति से संबंधित किसी भी दृश्य या मौखिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है। जब तक प्रमोटर द्वारा लिखित रूप में अधिकृत नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी प्रकृति के प्रभाव में या किसी भी परियोजना के तहत वाणिज्यिक प्लॉट कहा जाता है। मैं / हम बाजार जोखिम धारणाओं और बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के बारे में भी जानते हैं जो कि रियल एस्टेट क्षेत्र, सामान्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था और इस क्षेत्र और विशेष रूप से उक्त परियोजना से संबंधित हैं।

22. मैं / हम स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं और सहमत हैं कि मेरे द्वारा / हमें "बुकिंग राशि" की ओर जमा किए गए चेक के नकदीकरण के बाद ही इस आवेदन को प्रमोटर द्वारा संसाधित किया जाएगा और यह आवेदन सभी मामलों में पूरा होगा अन्यथा यह आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।
23. मैं / हम समझते हैं कि जैसा कि "अनुबंध ए" में दिया गया है, मैं / हम भी लागू पंजीकरण राशि और स्टॉप ड्यूटी, प्रो-रेटा ईडीसी/आईडीसी शुल्क, बिजली कनेक्शन और पावर बैक सहित सभी तृतीय पक्ष शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। पावर बैकअप शुल्क, जल कनेक्शन शुल्क के साथ-साथ लागू कर / शुल्क / उपकर इत्यादि, जैसे कि माल और सेवा कर (जीएसटी) या अन्य सरकारी या वैधानिक बकाया लागू सीवरेज, जल निकासी, वर्षा जल संचयन प्रणाली, सौर ऊर्जा बैकअप आदि। उक्त वाणिज्यिक प्लॉट या उक्त परियोजना के निर्माण और विकास के संबंध में, चाहे या भविष्य में या किसी भी वृद्धि के साथ-साथ सरकार द्वारा प्रवर्तक द्वारा प्रदत्त किसी अन्य राशि के भुगतान के संबंध में या किसी प्राधिकारी के संबंध में कोई शुल्क लेता है। उक्त कमर्शियल प्लॉट / उक्त प्रोजेक्ट का निर्माण और विकास, अभी या भविष्य में और / या इसमें कोई वृद्धि हुई है और जिसका प्रमोटर द्वारा भुगतान किया जा रहा है और अंततः आवंटी से वसूली योग्य है।
24. मैं / हम स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि इस हस्ताक्षरित आवेदन को प्रस्तुत करने और पंजीकरण शुल्क और / या उक्त वाणिज्यिक प्लॉट के आवंटन का भुगतान स्वचालित रूप से मेरे या हमारे पक्ष में किसी भी प्रकार के अधिकार, शीर्षक या ब्याज के परिणामस्वरूप नहीं आता है। किसी भी अचल संपत्ति में या उक्त वाणिज्यिक प्लॉट और सामान्य क्षेत्रों / उपयोगिताओं या सुविधाओं में अंतिम पूर्णता "अनुबंध ए" में बताई गई राशि के पूर्ण और अंतिम भुगतान व शर्तों के अनुपालन और सफल पंजीकरण के सफल पंजीकरण तब तक प्लॉट का मालिकाना हक नहीं प्राप्त कर सकता।
25. मैं / हम आगे स्वीकार करते हैं, समझते हैं और सहमत हैं कि कुल मूल्य के भुगतान के लिए प्रमोटर द्वारा मांगे गए किश्तों का समय पर भुगतान पार्टियों के बीच अनुबंध का सार होगा, और जब और जब मांग की जाती है, तब समय

timely payments of the instalments demanded by the Promoter towards payment of the Total Price shall be of the essence of the contract between the parties, and further undertake to make timely payments as and when demanded by the Promoter, otherwise development of the said Project would suffer due to non-payment of the due instalment(s) on my/our part and shall indemnify the Promoter as resultant delay in handing over possession of the said Commercial Plot.

26. I/We acknowledge and understand that delay in possession, if any, of the said Commercial Plot, from the date of Agreement for Sale till the date of handover can occur due to several factors such as delay/non-payment by buyers/ applicants force majeure, failure of government / other statutory bodies in providing the external infrastructure such as laying of sewer/water supply line, road, electrification etc. and in such events the Promoter will remain indemnified in consequent delays.
27. I/We agree that subject to force majeure and such other conditions and further subject to my/our compliance with all the obligations or documentation as may be prescribed by the Promoter under the terms and conditions contained herein and also in the proposed Agreement for Sale and also having not defaulted under any provision(s) thereof including but not limited to the timely payment of all dues and charges including the amount stated in the "Annexure A", the Promoter proposes to offer possession of the said Commercial Plot to me/us and me/we prospective buyer/applicant has to complete the construction of SCO as per Standard Design within a period of 48 Months minus/ plus 6 Months variable grace period ("Commitment Period") from the date of execution of the Agreement for sale after provision of infrastructure in the sector by the government such as laying of sewer/water supply line, road, electrification etc.
28. I/We further acknowledge, understand and agree that the Promoter shall have right to raise finance/loan from any institution, Company, bank or any other person by any mode or manner, inter alia by way of charge/mortgage of the said Project or any part thereof including the said Commercial Plot, subject only to the condition that a NOC for the said Commercial Plot shall be obtained from the said institution or bank by the Promoter either before the execution of the Conveyance Deed or the execution of a tripartite agreement with the respective institution, Company or bank financing a home loan for the said Commercial Plot, as the case may be. I/We further acknowledge, understand and agree that any such charge or mortgage made/created by the Promoter shall not constitute an excuse from completing the payment of the Total Price of the said Commercial Plot or be the basis of any claim against the Promoter.
29. I/we further acknowledge, understand and agree that the said Project is conceived of various services, amenities and facilities for the use and benefit of the Allottees and it is clarified that these services shall be available only for use and enjoyment of all the Allottees

पर भुगतान करने के लिए आगे कार्य करना होगा। प्रमोटर द्वारा, अन्यथा उक्त परियोजना का विकास मेरे / हमारे हिस्से पर नियत किस्तों का भुगतान नहीं होने के कारण होगा। और प्रमोटर को उक्त वाणिज्यिक प्लॉट पर कब्जा करने में परिणामी विलंब के रूप में मुझे / हमे दोषी ठहराया जाएगा।

26. मैं / हम स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि अगर कब्जे में देरी, यदि कोई हो, तो बिक्री के लिए इकरारनामा की तारीख से लेकर, जब तक कि हँडओवर की तारीख नहीं हो सकती, तब तक किसी भी कारक जैसे खरीदारों द्वारा देरी / भुगतान न करने के कारण हो सकते हैं, आवेदक सीवररेज / वाटर सप्लाई लाइन, सड़क, विद्युतीकरण इत्यादि के रूप में बाहरी बुनियादी ढांचा प्रदान करने में सरकार / अन्य वैधानिक निकायों की विफलता व फॉर्स मेजर से मजबूर करते हैं और इस तरह के आयोजनों में प्रेरक परिणामी निधियों में प्रमोटर हर प्रकार के क्लेम से मुक्त रहेगा।
27. मैं / हम सहमति और इस तरह की अन्य शर्तों को लागू करने के लिए उस विषय से सहमत हैं और आगे / मेरे अधीन सभी दायित्वों या प्रलेखन के साथ अनुपालन के रूप में प्रमोटर द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत निर्धारित किया जा सकता है। बिक्री और इसके अलावा किसी भी प्रावधान (नों) के तहत डिफॉल्ट नहीं किया गया है, लेकिन "अनुबंध - ए" में बताई गई राशि सहित सभी बकाया और शुल्क के समय पर भुगतान तक सीमित नहीं है, प्रमोटर ने मुझे उक्त वाणिज्यिक प्लॉट पर कब्जे की पेशकश करने का प्रस्ताव दिया है और मुझे / हमें भावी खरीदार / आवेदक को समझौते के निष्पादन की तारीख से 48 महीने की अवधि के भीतर मानक डिजाइन के अनुसार एससीओ के निर्माण को पूरा करना है। सरकार द्वारा क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के प्रावधान के बाद बिक्री जैसे कि सीवर / जलापूर्ति लाइन, सड़क, विद्युतीकरण आदि के बाद ही कब्जा दिया जाएगा।
28. मैं / हम आगे स्वीकार करते हैं, समझते हैं और सहमत हैं कि प्रमोटर को किसी भी संस्था, कंपनी, बैंक या किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी मोड या तरीके से वित्त / ऋण जुटाने का अधिकार होगा, उक्त के माध्यम से प्रभार / बंधक के रूप में अन्य बातों के साथ उक्त कमर्शियल प्लॉट सहित परियोजना या उसके किसी भाग को, केवल इस शर्त के अधीन कि उक्त कमर्शियल प्लॉट के लिए एक एनओसी उक्त संस्था या बैंक से प्रमोटर द्वारा या तो कन्वेंयन्स डीड के निष्पादन से पहले या त्रिपक्षीय के निष्पादन से प्राप्त की जाएगी। जैसा कि मामला हो, संबंधित संस्था, कंपनी या बैंक के साथ उक्त कमर्शियल प्लॉट के लिए होम लोन का समझौता। मैं/हम आगे स्वीकार करते हैं, समझते हैं और सहमत हैं कि प्रमोटर द्वारा बनाए गए / बनाए गए ऐसे किसी भी चार्ज या बंधक को उक्त वाणिज्यिक प्लॉट की कुल कीमत का भुगतान पूरा करने से कोई बहाना नहीं बनेगा या प्रमोटर के खिलाफ किसी भी दावे का आधार नहीं होगा।
29. मैं / हम आगे स्वीकार करते हैं, समझते हैं और सहमत हैं कि उक्त परियोजना आवंटियों के उपयोग और लाभ के लिए विभिन्न सेवाओं, सुविधाओं और सुविधाओं की कल्पना की गई है और यह स्पष्ट किया गया है कि ये सेवाएं केवल सभी के उपयोग और आनंद के लिए उपलब्ध होंगी। आवंटियों और साइट पर आवंटियों द्वारा एससीओ के कम से कम 50% वास्तविक भौतिक अधिभोग को प्राप्त करने के बाद ही कार्यात्मक होगा और चुनाव के बाद ही निवासियों

and will be functional only after achieving at least 50% actual physical occupancy of SCO's by the Allottees at site and shall be handed over to the federation/ association(s) of residents only after election are held transparently. However the rights to open markets, flee markets, parkings, kiosks etc. will always vest with the Promoter or its nominee(s)/assigns for the area not conveyed to allottee(s) and the same has accordingly been factored while calculating the price of SCO's. Association can take ownership of balance 65% area on payment negotiated with the Promoter.

30. I/we understand that however, notwithstanding the sincere commitment to deliver according to the committed timelines provided by the Promoter, if the Promoter fails to complete or is unable to give possession due to force majeure, the Promoter may refund the amount on my/our written request, within 45 days subject to provisions of balance in the designated escrow account required to be maintained under RERA, without affecting ongoing construction.
31. I/We confirm that all correspondences to me/us should be made in the name of the First Applicant at the address/email given and any notices /letters sent by the Promoter to that address/email shall be valid intimation to me/ all of us regarding the contents therein.
32. I/ We have gone through the draft Agreement for Sale available on the website of the Promoter and the Payment Plan "Annexure A" and Specifications in "Annexure B" attached with this Application that shall ipso-facto be applicable to my/ our nominees, legal heirs and successors.
33. I/We undertake that the said Commercial Plot cannot be transferred, assigned and no further third party nomination or interest can be created by me/us before a period of 12 (twelve) months from the date of acceptance of present Application by the Promoter or payment of 25% of the amount stated in "Annexure A" whichever is earlier and further after execution of Agreement for Sale and making all up-to-date payments including transfer charges, Interest Free Maintenance Security Deposit (IFMSD) and Maintenance Charges as may be applicable on execution of Agreement for Sale.
34. I/we hereby agree and undertake to become a member of the Market Welfare Association ("MWA") as and when it would be formed by the Promoter on behalf of all the Commercial Plot owners and to complete the documentation and fulfil its obligations as may be required under the applicable laws promptly on being called upon by the Promoter and for this purpose such obligations and documentation may include inter alia amongst others the execution of Conveyance Deed of the said Commercial Plot, submission of the MWA membership form, payment of subscription charges/fees, payment of upto-date dues of promoter, maintenance charges and IFMS etc. The fulfilment of the compliances by me/us as agreed above or otherwise shall be, wherever possible, is a precondition to be fulfilled before the execution of the Conveyance

के महासंघ /संघ को पारदर्शी तरीके से सौंपे जाएंगे। हालांकि, खुला बाजार, फ्लीट मार्केट, पार्किंग, कियोस्क आदि खोलने के अधिकार हमेशा प्रमोटर या उसके नॉमिनी(नो) के साथ निहित होंगे, जो उस क्षेत्र के लिए आवंटित/आवंटित नहीं करते हैं और उनकी गणना करते समय तथ्यात्मक नहीं बनाया गया है। एस सी ओ की कीमत के आधार से एसोसिएशन की हैं, प्रमोटर के साथ उपेक्षित भुगतान पर शेष 65% क्षेत्र का मालिकाना स्वामित्व ले सकता है।

30. मैं / हम समझते हैं हालांकि, प्रमोटर द्वारा प्रदान की गई समयसीमा के अनुसार वितरित करने के लिए ईमानदार से प्रतिबद्धता हैं, अगर प्रमोटर पूरा नहीं कर पाता है या फोरे मेजोरे के कारण कब्जा देने में असमर्थ होता है, तो प्रमोटर हमारे लिखित अनुरोध पर मेरी धन राशि वापसी कर सकता है, चल रहे निर्माण को प्रभावित किए बिना, रेरा के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्दिष्ट एस्करो खाते में शेष राशि के प्रावधानों के अधीन 45 दिनों के भीतर अदा कर देगा।
31. मैं / हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि सभी पत्राचार हमारे दिए गए पते / ईमेल पर पहले आवेदक के नाम पर ही किए जाएं और प्रमोटर द्वारा उस पते / ईमेल पर भेजे गए किसी भी नोटिस / पत्र / सामग्री हम सभी के लिए वैध सूचना दी गई होगी।
32. मैं / हम प्रमोटर की वेबसाइट पर उपलब्ध बिक्री के लिए ड्राफ्ट एग्रीमेंट और भुगतान योजना "अनुबंध ए" और स्पेसिफिकेशन्स "अनुबंध बी" के लिए अनुबंध के माध्यम से गए हैं जोकि इस आवेदन के साथ संलग्न है कि मेरे-हमारे लिए लागू होगा नामांकित व्यक्ति, कानूनी उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी के लिए भी लागू होगी।
33. मैं/हम यह वचन देते हैं कि उक्त वाणिज्यिक प्लॉट को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, सौंपा जा सकता है और कोई और तीसरे पक्ष का नामांकन या ब्याज मेरे द्वारा नहीं बनाया जा सकता है / 12 (बारह) महीने की अवधि से पहले वर्तमान की स्वीकृति की तारीख से। "अनुबंध ए" में बताई गई राशि का 25% का प्रमोटर या भुगतान, जो बिक्री के लिए इकरारनामे के निष्पादन के बाद और आगे है और हस्तांतरण शुल्क, ब्याज मुक्त रखरखाव सुरक्षा जमा (आईएफएमएसडी) और रखरखाव शुल्क सहित सभी अप-टू-डेड भुगतान करते हैं। जैसा कि बिक्री के लिए इकरारनामे के निष्पादन पर लागू हो सकता है।
34. मैं / हम इसके द्वारा मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन (MWA) के सदस्य बनने के लिए सहमत होते हैं और जब यह सभी वाणिज्यिक प्लॉट मालिकों की ओर से प्रमोटर द्वारा गठित किया जाएगा और प्रलेखन पूरा करने और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए जैसा कि प्रमोटर द्वारा आह्वान किए जाने पर तुरंत लागू कानूनों के तहत आवश्यक हो सकता है और इस उद्देश्य के लिए इस तरह के दायित्वों और प्रलेखन में अन्य लोगों के बीच अन्य बातों के साथ-साथ उक्त वाणिज्यिक प्लॉट के कन्वेंशन डीड का निष्पादन, MWA सदस्यता फॉर्म जमा करना, भुगतान शामिल हो सकता है। सदस्यता शुल्क / शुल्क इत्यादि। मेरे / हमारे द्वारा दिए गए अनुपालनों की पूर्ति, जैसा कि ऊपर सहमति हुई या अन्यथा, जहाँ भी संभव हो, मेरे / हमारे पक्ष में उक्त वाणिज्यिक प्लॉट के लिए कन्वेंशन डीड के निष्पादन से पहले एक पूर्व शर्त को पूरा किया जाएगा। आवंटि द्वारा उक्त कर्मर्शियल प्लॉट के लिए कन्वेंस डीड का निष्पादन MWA का सदस्य बनने के लिए पूर्व शर्त होगी।

Deed for the said Commercial Plot in favour of me/us to become eligible in elections or conduct of affairs of MWA. Execution of the Conveyance Deed for the said Commercial Plot by the Allottee shall be a pre-condition for becoming a member of the MWA.

35. I/we further acknowledge, understand and consent that Promoter has made it specifically clear to the Applicant(s), that the computation of the Total Price does not include in any manner recovery or payments towards running, maintenance and operation of common areas and facilities except first two months and area outside the SCO Plot will remain under management and control of the Promoter only.
36. I/we further acknowledge, understand, agree and undertake to pay all charges on actual basis towards electricity, water and sewerage connection, electricity and water meters, if any, maintenance charges for upkeep and maintenance of various common services and facilities (excluding internal maintenance of the said Commercial Plot) etc. as may be determined by the Promoter or Association of Commercial Plot Owners or by the maintenance agency employed / hired for the said purpose by the Promoter/ Association of Commercial Plot Owners.
37. I/We understand and acknowledge that I/We shall have to appear before the concerned sub-registrar for registration of agreement for sale as per the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 and rules made there under ("RERA"), I/We further acknowledge that I/We shall bear the applicable cost of stamp duty, registration fee and any administrative charges for the registration of the same.
38. I/we hereby agree that all or any disputes arising out of or touching upon or in relation to the terms of this application for provisional registration and/or Agreement for Sale, including the interpretation and validity of the terms thereof and the respective rights and obligations of the Parties, shall be settled amicably by mutual discussion with the Promoter and at least 3 recorded meeting with signed minutes, failing which the same shall be settled through the adjudicating officer appointed under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016.
39. That for all intents and purposes and for the purpose of the suggestive terms and conditions set out in this Application, singular includes plural and masculine includes the feminine gender.

Signature(s):

1. _____ 2. _____

(Sole/ First Applicant) (Second Applicant)

35. मैं / हम आगे स्वीकार करते हैं, समझते हैं और सहमति देते हैं कि प्रमोटर ने आवेदक को विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया है, कि कुल मूल्य की गणना में सामान्य क्षेत्रों के चलाने, रखरखाव और संचालन के लिए किसी भी तरह से वसूली या भुगतान शामिल नहीं है। और एससीओ प्लॉट के बाहर पहले दो महीनों और क्षेत्र को छोड़कर सुविधाएं केवल प्रमोटर के प्रबंधन और नियंत्रण में रहेंगी।
36. मैं / हम बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शन, बिजली और पानी के मीटर, यदि कोई हो, रखरखाव और विभिन्न सामान्य सेवाओं और सुविधाओं के रखरखाव के लिए शुल्क (छोड़कर) के लिए वास्तविक आधार पर सभी शुल्कों का भुगतान करने, समझने, सहमत करने और शुरू करने के लिए स्वीकार करता / करती हूं। उक्त वाणिज्यिक प्लॉट का आंतरिक रखरखाव आदि का निर्धारण प्रमोटर या एसोसिएशन ऑफ कमर्शियल प्लॉट ओनर्स द्वारा किया जा सकता है या प्रमोटर / एसोसिएशन ऑफ कमर्शियल प्लॉट ओनर्स द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए नियोजित / किराए पर लिया गया है।
37. मैं / हम समझते व स्वीकार करते हूं / हैं कि मुझे / हमें रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार बिक्री के लिए इकरारनामा के पंजीकरण के लिए संबंधित उप-रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित होना होगा।), मैं / हम आगे स्वीकार करते हैं कि मैं / हम स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और उसी के पंजीकरण के लिए किसी भी प्रशासनिक शुल्क की लागू लागत वहन करेंगे।
38. मैं / हम यहां इस बात से सहमत हैं कि सभी या कोई भी विवाद या बिक्री के लिए अनंतिम पंजीकरण और / या इकरारनामे के लिए इस आवेदन की शर्तों के संबंध में या संशोधन से उत्पन्न होता है, जिसमें इसकी शर्तों और संबंधित अधिकारों की व्याख्या और वैधता शामिल है। पार्टियों के दायित्वों को, प्रवर्तक के साथ आपसी चर्चा द्वारा और हस्ताक्षरित मिनटों के साथ कम से कम 3 बैठक में निपटाया जाएगा, जिसे विफल करते हुए उसी को अचल संपत्ति (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत नियुक्त सहायक अधिकारी के माध्यम से निपटाया जाएगा।
39. यह सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए और इस अनुप्रयोग में निर्धारित सुझाव और शर्तों के उद्देश्य के लिए, एकवचन में बहुवचन और पुल्लिंग में स्त्री लिंग शामिल है।

आवेदक(को) के हस्ताक्षर।

हस्ताक्षर (ओं): 1. _____ 2. _____

(एकमात्र / प्रथम आवेदक)

(दूसरा आवेदक)

जगह: _____

दिनांक: _____

Place: _____

Date: _____

Signature(s) of Applicant(s).

I/We, the Applicants(s) do hereby declare that my/our Application is irrevocable and further confirm and declare that the particulars provided by me/us are true to my/our knowledge and correct to the best of my/our belief. No part of it is false and nothing has been concealed or withheld by me/us there from. I/We have fully read over and understood the above mentioned terms and conditions and agree to abide by the same.

Place: _____

Date: _____

घोषणा

मैंने/हमने उक्त उल्लिखित सभी नियमों व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा व समझा है और मैं/हम इनका अनुपालन करने के प्रति सहमत है। मैं/हम यह समझते हैं कि उपर्युक्त नियम व शर्तें मुझे/हमें बिक्री-करार में विस्तारपूर्वक बताए गए नियमों व शर्तों की जानकारी प्रदान करने के विचार से दिया गया एक निर्देश है, जो इस आवेदन में उल्लिखित नियम व शर्तों का उल्लंघन होने पर उत्पन्न किसी भी पारस्परिक विरोध या असंगति की स्थिति का विस्तार है।

आवेदक

दिनांक :

स्थान :

Note:

- 1) In case the cheque(s) comprising Application Fee is/are dishonored due to any reason, the Promoter reserves the right to cancel the booking without giving any notice to the Applicant(s).
- 2) Applications not accompanied by photographs and the particulars mentioned hereinabove of the Applicant(s) shall be considered as incomplete and may be rejected by the Promoter at its sole discretion.

Notes:

- I. All Drafts/ Cheques are to be made as per the details herein under:
 - I. Cheque/DD to be issued in favour of **“Raheja Developers Limited” payable at New Delhi/Gurugram**
- OR
- II. Through electronic Transfer in as under:

Account Name	Raheja Developers Limited
Account Number	914020004175304
Bank Name	Axis Bank Ltd.,
IFSC Code	UTIB0000131
Branch	DLF-V, Cross Road, Gurugram

For Office Use Only

1. Name, Designation and Signature of the receiving officer/
Pre filled with name of sales Organiser if any
2. Amount Received:
ReceiptNo.
3. Booking: Direct/ Sales Organizer
4. Name of Sales Organizer
5. KYC done by
6. Application Form Accepted / Rejected
7. Reason of rejection
8. Date of Acceptance/ Rejection
9. Commercial Plot Allotted
10. Name, Designation and Signature of the
Officer approving the Allotment of said Commercial Plot
11. Remarks, if any

For M/s Raheja Developers Ltd.

Authorized Signatory

Checklist for receiving officer,**Tick please:**

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Application Fee cheques/ DD. | <input type="checkbox"/> |
| 2. Customer's Signature on all pages of the Application Form and payment plan and on amendments/corrections. | <input type="checkbox"/> |
| 3. Copy PAN Card/ Form 60/ Undertaking. | <input type="checkbox"/> |
| 4. Copy of Registration Certificate of broker under RERA. | <input type="checkbox"/> |

Documents required at the time of booking:

1. Application Fee cheque/draft.
2. PAN No. & Copy of PAN Card/Undertaking (Self attested copy).
3. For Companies: Copy of Memorandum & Articles of Association, Form 18 and Form 32 (Self attested), certified copy of Board Resolution,
4. For Partnership Firm: Copy of partnership deed, firm registration certificate (Self attested), consent/authorization from all the partners.
5. For a Limited Liability Partnership (LLP): LLP agreement, LLP registration certificate (Self attested copy), authorization LLP.
6. For Foreign Nationals of Indian Origin/NRI: Passport photocopy (Self attested copy) and funds from their own NRE/FCNRA/c.
7. One photograph of each Applicant.
8. Address/Identity Proof: Photocopy of Passport/Electoral Identity Card/Ration Card/Driving License/ PIO Card/OCI Card etc (Self attested).
9. Specimen signatures duly verified by bankers (in original).
10. If the First Applicant is a minor, then proof of age and address of natural guardian to be furnished.

My/ Our particulars as mentioned below may be recorded for reference and communications:

1. Applicant (Sole/ First)

Mr./ Mrs./ Ms/ M/s

FIRST NAME

MIDDLE NAME

LAST NAME

PLEASE AFFIX YOUR
SELF ATTESTED
PHOTOGRAPH
HERE

Son/ Wife /Daughter of Mr./ Mrs.

FIRST NAME

MIDDLE NAME

LAST NAME

Profession

Designation

Nationality

Company Name/ Firm Name

Residential Status: Resident Indian

Non - Resident Indian

Foreign National of Indian Origin

Residential Address

Pin Code

Office Address

Pin Code

Address for Communication Residential/ Office/ Others, Please Specify

Telephone No. Res.

Off.

Mobile

Fax

Date of Birth

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Marital Status :

Single

Married

Email: (Mandatory)

@

No. of Children

PAN No.

Passport No.

(Attach Form 60 or 61, as the case may be if PAN is not available)

2. Applicant (Second)

Mr./ Mrs./ Ms/ M/s

FIRST NAME

MIDDLE NAME

LAST NAME

PLEASE AFFIX YOUR
SELF ATTESTED
PHOTOGRAPH
HERE

Son/ Wife /Daughter of Mr./ Mrs.

FIRST NAME

MIDDLE NAME

LAST NAME

Profession

Designation

Nationality

Company Name/ Firm Name

Residential Status: Resident Indian

Non - Resident Indian

Foreign National of Indian Origin

Residential Address

Pin Code

Office Address

Pin Code

Address for Communication Residential/ Office/ Others, Please Specify

Telephone No. Res.

Off.

Mobile

Fax

Date of Birth

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Marital Status :

Single

Married

Email: (Mandatory)

@

No. of Children

PAN No.

Passport No.

(Attach Form 60 or 61, as the case may be if PAN is not available)

ANNEXURE-A

DEVELOPMENT LINKED PAYMENT PLAN

Percentage	Milestones	Installment Amount (INR)
Upto 10% of Total Price	Application Money	
20% of Total Price	60 days from booking and registration of Agreement.	
30% of Total Price	On internal roads completion +EDC/IDC + all connections charges	
20% of Total Price	20% on application of CC	
20% of Total Price	20% on receipt of CC	
	Total	

- Company may facilitate long term/possession linked payment plans to customers as per market conditions from time to time.
- Company may handover the possession of the plot at the time of registration of agreement for sale at its sole discretion. In case, of allottee(s) availing loan facilities for the said plot, it shall be subject to execution of the loan documents to the satisfaction of Bank/FI, which is to be executed by allottee(s) with such Bank/FI.

3rd Floor, Raheja Mall, Sector-47, Sohna Road, Gurugram-122001 (India)
हेल्पलाईन नं./ Helpline No.: 0120-6262680 or 0120-4056331

अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट: www.scoplots.com देखें।